4490. *[Transferred to the 20th Au-aust.* 19921

सलाहकार समितियों की बैठकें

4491. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों में संसदीय सलाहकार समितियों का गठन समय पर कर लिया गया है ;

(ख) क्या इन सभी सलाहकार समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो कौन-कौन से मंत्रालयों/विभागों में सलाहकार समितियों की बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं और उनके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दसवीं लोक सभा के गठन के पश्चात् भारत सरकार के 32 मंत्रालयों के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया गया है (विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ; गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए कोई सलाहकार समिति गठित नहीं की गई है)

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन मंत्रालयों के नाम जिन्होंने अपनी सलाहकार समितियों की बैठकें आयोजित नहीं की

सत्रावधि जब बैठक बुलानी अपेक्षित थी	मंत्रालय जिन्होंने अपनी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की ।	टिप्पणी
1. बजट सत्र, 1991 (9-7-91 से 18-9-91 तक)	1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य वैज्ञानिक विभाग 2. नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण 3. रसायन और उर्वरक 4. वाणिज्य 5. उद्योग 6. श्रम 7. योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन 8. विद्युत एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत 9. ग्रामीण विकास 10. वस्त्र	इन सलाहकार समितियों के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद, सत्र समाप्त होने तक उनकी बैठकें बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था ।
2. अन्तः सत्रावधि (19-9-91 से 19-11-1991 तक)	1. रक्षा	माननीय रक्षा मंत्री लोक सभा के लिए अपने उप-चुनाव में व्यस्त थे ।
	2. विदेश	विदेश मंत्री के विदेशों में व्यस्त होने के कारण
	3. वित्त	वित्त मंत्री की पूर्व-व्यस्तता के कारण ।
	4. योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	बैठक की सभी पूर्व आवश्यकतायें पूरी नहीं की जा सकी ।

समयावधि जब बैठक बुलानी अपेक्षित थी	मंत्रालय जिन्होंने अपनी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की ।	टिप्पणी
	5. जल संसाधन	मंत्री को विभिन्न पूर्व व्यस्तताओं के कारण
3. शीतकालीन सत्र (20–11–91 से 20–12–91 तक)	1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य वैज्ञानिक विभाग	बैठक दिनांक 18–12–91 को सायं 7.05 बजे नियत की गई थी (सत्र समाप्त होने से दो दिन पूर्व) परंतु उस दिन लोक सभा का सत्र देर रात तक चला, अतः बैठक रद्द करनी पडी ।
	2. श्रम 3. मानव संसाधन विकास 4. पर्यावरण और वन	बैठकें दिनांक 19–12–91 को नियत की गई थी (सत्र समाप्त होने से एक दिन पूर्व) परन्तु श्री बी० एस० मेहता, संसद सदस्य लोक सभा के निधन के कारण रद्द करनी पड़ी ।
4. अन्तः सत्रावधि (21–12–91 से 23–2–92 तक)	जल संसाधन	(मंत्रालय से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।
5. अन्तः सत्रावधि (15–5–92 से 7–7–92 तक)	जल संसाधन	

Requirement of gas for gas based powtti stations

@4492. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of PETRO LEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to divert the gas, earlier earmarked for Gujarat;

(b) what is the daily requirement of gas-based power stations in Gujarat, and against the *total* requirement what linkage has been sanctioned by Govemment;

(c) whether Government propose to sanction more gas-baesd power stations to Oajarat during the Eighth Five Year Plan; and

(d) what is the status about the clearance of Pipavav Gas based power project and by when gas is likely to be allocated for Pipavav Power Station?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) Allocations to the extent of 19.4 MMSCMD have been made to various consumers in Gujarat, of which 7.47 MMSCMD have been made to Power sector. It is not proposed to divert any of these allocations elsewhere.

(c) The entire gas being produced in Gujarat along with a substantial quantity of offshore gas have already been committed to various consumers in Gujarat Keeping in view the availability and commitments; it is difficult to consider further allocations.

(d) No decision has been taken to develop the Tapti gas fields.

©Previously Unstarred Question No. 3801, transferred from the 11th August, 1992,